

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- रा०कृ०वि०यो०को०-30/2018-  
प्रेषक,

341

/कृ०,पटना, दिनांक 25/01/2019

रवीन्द्र नाथ राय,  
विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम अंतर्गत कुल 13.00 लाख रुपये (तेरह लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।  
आदेश - स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम अंतर्गत कुल 13.00 लाख रुपये (तेरह लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम से अनुदान टॉप-अप करने के लिए कार्यक्रम निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रू० में)

क्र०	कार्यक्रम	सहायता दर	इकाई	हरित क्रांति भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	अधिक उपजशील धान प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से अधिक)	रू० 5/- कि०ग्रा० राज्य स्कीम से अतिरिक्त सहायता	वर्षी०	900	4.50
2	पम्पसेट (डीजल/बिजली) 10 एच.पी. तक	अनु०जाति/अनु०जनजाति को रू० 5000/- प्रति इकाई राज्य स्कीम से अतिरिक्त सहायता	संख्या	1000 (सामान्य 830 एवं अनु० जाति/अनु० जनजाति 170)	8.50
कुल					13.00

3. राज्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची की विवरणी निम्न प्रकार है :-

- हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 के कार्यक्रमों के लिए राज्य स्कीम अंतर्गत जिलावार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार कुल वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।
- हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 में पम्पसेट (डीजल/बिजली) 10 एच.पी. तक का वितरण का राज्य स्कीम अंतर्गत जिलावार/मदवार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-2 के रूप में संलग्न है।
- हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधिक उपजशील धान प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से अधिक) का राज्य स्कीम अंतर्गत जिलावार/मदवार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-3 के रूप में संलग्न है।





4. वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 2000.00 लाख रुपये (बीस करोड़ रुपये) का स्वीकृत कार्यक्रमों में से अधिक उपजशील धान प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से अधिक) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पम्पसेट (डीजल/बिजली) 10 एच.पी. तक वितरण में राज्य स्कीम से अनुदान टॉप-अप करने के लिए राज्य स्कीम से 13.00 लाख रु० व्यय किया जायेगा।

5. (क) अनुसूची-2 के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी।

(ख) अनुसूची-3 की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा जिला कृषि पदाधिकारियों से प्राप्त फसलवार बीज वितरण प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा एवं इसे बिहार राज्य बीज निगम लि०, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

		(राशि लाख रु० में)	
बजट शीर्ष		उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
<b>1. बीज उत्पादन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)</b>			
(i)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष-103-बीज-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0109-बीज गुणन.फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड-1-2401001030109, विषय शीर्ष-33-सब्सिडी, 0109.33.01 सब्सिडी	6691.46	3.735
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0117-बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-1-2401007890117, विषय शीर्ष-33- सब्सिडी, 0117.33.01 सब्सिडी	1289.92	0.72
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0140-बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड -1-2401007960140, विषय शीर्ष-33-सब्सिडी, 0140.33.01 सब्सिडी	80.62	0.045
योग		8062.00	4.50
<b>2. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन (राज्य स्कीम)</b>			
(i)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-113-कृषि इंजीनियरी-मांग सं०-1, उपशीर्ष-0105-प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन, विपत्र कोड-1- 2401001130105, विषय शीर्ष-0105.33.01-सब्सिडी	13571.58	0.00
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1, उपशीर्ष-0120-प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन, विपत्र कोड-1-2401007890120, विषय शीर्ष-0120.33.01-सब्सिडी	2616.21	8.00
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1, उपशीर्ष-0143-प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन, विपत्र कोड - 1-2401007960143, विषय शीर्ष-0143.33.01-सब्सिडी	163.51	0.50
योग		16351.30	8.50
सकल योग		24413.30	13.00

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि० दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-रा०कृ०वि०यो०को०-30/2018 के पृ०सं०-41/टि. पर दिनांक-11.01.2019 को प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।



9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-रा०कृ०वि० यो०को०-30/2018 के पृ०सं०-43/टि. पर दिनांक-21.01.2019 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-10 दिनांक-14.01.2019 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
24.1.19

(रवीन्द्र नाथ राय)  
विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना दिनांक 25/01, 2019

ज्ञापांक - 341

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 341

/कृ०, पटना, दिनांक 25/01, 2019

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 341

/कृ०, पटना, दिनांक 25/01, 2019

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 341

/कृ०, पटना, दिनांक 25/01, 2019

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

24.1.19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-1

हरित क्रांति उपयोजना वित्तीय वर्ष 2017-18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 के कार्यक्रमों के लिए राज्य स्कीम अंतर्गत जिलावार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार कुल वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	जिला	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	राज्य स्कीम कुल वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू० में)
1	2	3	4
1	पटना	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	0.60000
2	नालन्दा	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा	0.45000
3	भोजपुर	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	0.40000
4	बक्सर	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	0.25000
5	रोहतास	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास	0.45000
6	कैमूर	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर	0.35000
7	गया	जिला कृषि पदाधिकारी, गया	0.70000
8	जहानाबाद	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद	0.15000
9	अरवल	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल	0.10000
10	नवादा	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा	0.35000
11	औरंगाबाद	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	0.35000
12	भागलपुर	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर	0.50000
13	बांका	जिला कृषि पदाधिकारी, बांका	0.40000
14	मुँगेर	जिला कृषि पदाधिकारी, मुँगेर	0.25000
15	जमुई	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई	0.35000
16	लखीसराय	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	0.15000
17	खगड़िया	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	0.25000
18	शेखपुरा	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा	0.10000
19	बेगुसराय	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय	0.45000
20	सारण	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण	0.60000
21	वैशाली	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	0.55000
22	शिवहर	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर	0.10000
23	प० चम्पारण	जिला कृषि पदाधिकारी, प० चम्पारण	0.65000
24	बिहार राज्य बीज निगम	कृषि निदेशक, बिहार, पटना	4.50000
		कुल	13.00000

अनुसूची-2

हरित क्रांति उपयोजना वित्तीय वर्ष 2017-18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 में पम्पसेट (डीजल/बिजली) 10 एच. पी. तक का वितरण का राज्य स्कीम अंतर्गत जिलावार/मदवार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य

भौतिक:- संख्या में  
वित्तीय- लाख रु० में

क्र० सं०	जिला	सामान्य जाति		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		कुल लक्ष्य	
		हरित क्रांति भौतिक लक्ष्य	राज्य स्कीम वित्तीय लक्ष्य	हरित क्रांति भौतिक लक्ष्य	राज्य स्कीम वित्तीय लक्ष्य	हरित क्रांति भौतिक लक्ष्य	राज्य स्कीम वित्तीय लक्ष्य	हरित क्रांति भौतिक लक्ष्य	राज्य स्कीम वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	62	0.00000	12	0.60000	0	0.00000	74	0.600
2	नालन्दा	46	0.000	9	0.450	0	0.000	55	0.450
3	भोजपुर	43	0.000	8	0.400	0	0.000	51	0.400
4	बक्सर	28	0.000	5	0.250	0	0.000	33	0.250
5	रोहतास	46	0.000	9	0.450	0	0.000	55	0.450
6	कैमूर	28	0.000	5	0.250	2	0.100	35	0.350
7	गया	62	0.000	12	0.600	2	0.100	76	0.700
8	जहानाबाद	18	0.000	3	0.150	0	0.000	21	0.150
9	अरवल	12	0.000	2	0.100	0	0.000	14	0.100
10	नवादा	35	0.000	7	0.350	0	0.000	42	0.350
11	औरंगाबाद	38	0.000	7	0.350	0	0.000	45	0.350
12	भागलपुर	46	0.000	9	0.450	1	0.050	56	0.500
13	बांका	35	0.000	7	0.350	1	0.050	43	0.400
14	मुँगेर	19	0.000	4	0.200	1	0.050	24	0.250
15	जमुई	29	0.000	6	0.300	1	0.050	36	0.350
16	लखीसराय	15	0.000	3	0.150	0	0.000	18	0.150
17	खगड़िया	24	0.000	5	0.250	0	0.000	29	0.250
18	शेखपुरा	10	0.000	2	0.100	0	0.000	12	0.100
19	बेगूसराय	48	0.000	9	0.450	0	0.000	57	0.450
20	सारण	62	0.000	12	0.600	0	0.000	74	0.600
21	वैशाली	55	0.000	11	0.550	0	0.000	66	0.550
22	शिवहर	10	0.000	2	0.100	0	0.000	12	0.100
23	प० चम्पारण	59	0.000	11	0.550	2	0.100	72	0.650
	कुल	830	0.000	160	8.000	10	0.500	1000	8.500